

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
विभिन्न न्यायालयों में लंबितवादों की अद्यतन स्थिति माह 02/2019

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	कुल लंबित वाद	58	4411	638	488	1922	7517	428
2	प्रतिशपथपत्र दाखिल	49	4186	618	466	1883	7202	413
3	कुल अवशेष वाद	9	225	20	22	39	315	15
4	आवश्यकता नहीं	2	87	2	1	3	95	5
5	अवशेष वाद	7	138	18	21	36	220	10

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता(वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(वि0प्र0)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित संगठनवार वार्दों की अद्यतन स्थिति माह 02/2019

क्र० सं०	संगठन का नाम	मा० सर्वोच्च न्यायालय				मा० उच्च न्यायालय				मा० लोक सेवा अधिकरण				मा० श्रम न्यायालय				अन्य			
		कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	1	-	1	-	20	19	1	-	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	17	16	1	-	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु०एवं नियो०(बाढ) लखनऊ	-	-	-	-	4	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
4	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा० लखनऊ	-	-	-	-	13	11	2	0	6	6	-	-	1	1	-	-	4	4	-	-
5	मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन लखनऊ	-	-	-	-	0	0	-	-	2	2	-	0	-	-	-	-	1	1	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	3	3	-	-	264	254	10	-	49	49	-	-	102	101	1	-	136	135	1	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	7	5	-	2	915	830	22	63	102	101	0	1	29	29	-	-	349	347	-	2
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	1	1	-	-	112	108	4	-	12	12	0	-	26	26	-	-	54	54	-	-
9	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	-	-	-	-	168	160	2	6	33	31	2	-	36	16	19	1	112	103	8	1
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	2	2	-	-	94	85	3	6	15	13	1	1	1	1	-	-	46	44	2	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झॉसी	2	2	-	-	113	112	1	-	13	13	-	-	28	28	-	-	41	41	0	-
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	-	-	-	-	19	19	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	2	1	1	-	158	153	1	4	43	42	1	-	36	35	1	-	169	158	11	-
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	-	-	-	-	192	185	2	5	34	33	1	-	34	34	-	-	19	18	1	-
15	मु०अ०, बाणसागर, प्रयागराज	1	1	-	-	42	38	4	-	5	5	-	-	2	2	-	-	18	17	1	-
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	3	3	-	-	339	322	16	1	45	44	1	-	15	15	-	-	339	336	3	-
17	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	5	2	3	-	66	62	4	-	21	20	1	-	5	5	-	-	51	49	2	-
18	मु०अ०, बेतवा, झॉसी	0	0	-	-	108	108	-	-	18	17	1	-	30	30	-	-	38	38	0	-
19	मु०अ०, गंगा, मेरठ	4	4	-	-	207	202	5	-	18	15	3	-	12	12	-	-	202	202	-	-
20	मु०अ०, कनहर, मिर्जापुर	-	-	-	-	20	19	1	-	1	1	-	-	0	0	-	-	2	2	-	-

21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	मु0अ0, यमुना ओखला, नई दिल्ली	15	15	0	0	179	175	4	0	15	14	1	-	-	-	-	-	173	166	7	-
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	1	1	-	-	317	309	8	-	47	46	1	-	31	31	-	-	30	30	0	-
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	4	4	-	-	251	238	13	-	38	35	3	-	28	28	-	-	30	30	-	-
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	3	2	1	-	341	328	13	-	26	24	2	-	25	25	-	-	61	61	-	-
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	4	3	1	-	351	335	16	-	35	35	0	-	9	9	-	-	36	36	-	-
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	-	-	-	-	82	80	2	-	8	8	-	-	28	28	0	-	10	10	-	-
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	-	-	-	-	8	8	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	58	49	7	2	4411	4186	138	87	638	618	18	2	488	466	21	1	1922	1883	36	3

कुल लम्बित वाद = 7517

प्रतिशपथ-पत्र
दाखिल - 7202

अवशेष 220

आवश्यकता नहीं -

95

प्रतिहस्ताक्षरित

(अशोक कुमार
सिंह)

मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिकासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

22	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	मु0अ0, यमुना, ओखला नई दिल्ली	1	1	-	-	11	11	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	29	28	1	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	-	-	-	-	14	14	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	-	-	-	-	20	20	-	-	6	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	-	-	-	-	29	29	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	-	-	-	-	9	9	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	1	1	0	0	359	348	7	4	64	60	3	1	0	0	0	0	0	5	5	0	0

कुल लम्बित वाद - 429

प्रतिशपथ-प 414
त्र दाखिल-

अवशेष 10
- 13

आवश्यकता नहीं - 5

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित अंतिम/अनन्तिम आदेशों के अनुपालन की स्थिति माह 02/2019

1	2	3	4	5	6	वादों जिनमें अनुपालन शेष है।					12	13
						7	8	9	10	11		
संगठन का नाम		कुल लम्बित वाद	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम/ अनन्तिम आदेश पारित किये गये।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम / अनन्तिम आदेशों का अनुपालन कर दिया गया है।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम / अनन्तिम आदेशों का अनुपालन किया जाना शेष है।	जिनमें रिज्यू/ स्पेशल अपील मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है।	जिनमें एस0एल0पी0 दायर है।	वाद जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।	वाद जिनमें याची का प्रत्यावेदन निस्तरण हेतु लम्बित है।		वादों की संख्या जिनमें शासन से प्रतिवाद की अनुमति अपेक्षित है।	वादों की संख्या जिनमें प्रतिवाद अनुमति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित नहीं है।
									विभाग स्तर पर	शासन स्तर पर		
1	मु0अ0, अग्रिम नियो0, लखनऊ	59	59	57	2	-	-	-	-	2	-	-
2	मु0अ0, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	मु0अ0, अनु0एवं नियो0-बाढ़, लखनऊ	6	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-
4	मु0अ0, अनु0एवं सम0वा0सहा0 लखनऊ	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6	मु0अ0, गण्डक, गोरखपुर	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मु0अ0, शारदा सहा0, लखनऊ	178	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-
8	मु0अ0 मध्यगंगा, अलीगढ़	18	18	11	7	-	-	-	-	-	-	-
9	मु0अ0, सरयू-1 , अयोध्या	22	22	14	8	3	-	-	-	1	0	-
10	मु0अ0, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
11	मु0अ0, परि0बेतवा, झाँसी	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
12	मु0अ0, जलसंसाधन, लखनऊ	27	6	5	1	0	0	-	-	-	-	-
13	मु0अ0, रामगंगा, कानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	मु0अ0, शारदा, बरेली	145	58	36	22	-	-	-	-	-	-	-
15	मु0अ0, बाणसागर, प्रयागराज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मु0अ0, सोन, वाराणसी	90	79	71	8	-	-	-	-	-	-	-
17	मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा	15	15	10	5	2	-	-	2	-	-	-

18	मु0अ0, बेतवा, झॉसी	12	11	10	1		-	-	-	-	-	-
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	5	3	2	1	0		-	-	-	-	-
21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	2	1	0	1	-	-	-	-	1	-	-
22	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	मु0अ0, यमुना, ओखला, नई दिल्ली	21	14	6	8	2	-	-	-	-	6	-
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	137	137	85	52	49	0	0	3	0	-	-
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	39	39	19	20	-	-	-	-	-	-	-
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	215	215	206	9	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	352	352	303	49	42	5	-	-	2	-	-
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	49	49	32	17	1	12	1	-	3	-	-
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	5	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	योग	1460	1330	1118	212	99	17	1	5	9	6	0

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

मासिक सूचना

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालय वार अवमाननावादों का विवरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। माह 02/2019

क्रमांक	संगठन का नाम	मा0 सवोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	श्रम न्यायालय	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य अभियन्ता(शा0सहा0), लखनऊ	0	1	0	0	0	1
2	मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), झांसी	0	2	0	0	0	2
3	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	0	1	0	0	0	1
4	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ।	0	2	0	0	0	2
5	मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर	0	1	0	0	0	1
6	मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी	0	0	2	0	0	2
7	मुख्य अभियन्ता(नलकूप), वाराणसी	0	0	1	0	0	1
	योग	0	7	3	0	0	10

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

अधिसासी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)

अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 01/2019 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्र० सं०	मण्डल/ खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ									
1	रायबरेली खण्ड (दक्षिण) शारदा नहर रायबरेली	65/सी/2012	शिव बरन व अन्य	श्री दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	मूलवाद-2899/एस०एस०/2012	मस्टरराल वर्कचार्ज सेवा के आधार का जी०पी०एफ० कटौती।	-	अधि० अमि०रा०ख०द०शा०रा० रायबरेली ने अपने पत्रांक-3564/दिनांक- 20.12.2018 द्वारा अवगत कराया है कि प्रशनगत अवमाननावाद में दिनांक-09.01.2013 को प्रतिपक्षी संख्या-02, श्री अशोक कुमार ओझा, प्रमुख अमि० एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई तथा प्रतिपक्षी सं०-03, श्री शशिकान्त शर्मा, मु०अ० शा०सहा० के नाम नोटिस निर्गत की गई थी। उक्त दोनों अधिकारी, सेवा निवृत्त हो चुके हैं। फलस्वरूप मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता इलाहाबाद बेंच लखनऊ से वर्तमान में कार्यरत प्रतिपक्षी सं०-02 के स्थान पर श्री विनय कुमार राठी, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग तथा प्रतिपक्षी संख्या-03 के स्थान पर श्री राकेश कुमार गुप्ता मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के नाम संशोधित नोटिस निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है। संशोधित निर्गत नोटिस के उपरान्त ही प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाना सम्भव हो सकेगा।	-
मुख्य अभियन्ता (परियोजना-बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी									
2	मौ०बा०नि० ख०-1 महाबा	4183/2016	मुहम्मद याकूब	श्री पी०डी०वर्मा प्रमुख अभियन्ता	46682/2015	रिट याचिका संख्या-46682/2015 मुहम्मद याकूब बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु दायर की गयी है जिसको मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण करते हुये दिनांक 12.08.2015 को आदेश पारित किया।	-	प्रकरण पर प्रतिशपथ-पत्र तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता श्री पी०डी०वर्मा द्वारा दाखिल न किये जाने के कारण प्रकरण वर्तमान में लम्बित है।	-

क्र. सं. 0	मण्डल/ खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	सिंचाई निर्माण खण्ड मऊ रानीपुर	269/2019	श्री आलोक सिन्हा	श्री टी0 वेंकटेश	4556/18	वाद एरच बांध में की गई अनियमितताओं से दोषमुक्त करने के सम्बन्ध में है। जिसकी सुनवाई की तिथि-19.04.2019	-	एरच बांध में की गई अनियमितताओं से दोषमुक्त करने के सम्बन्ध में वाद दाखिल किया गया, जिसकी सुनवाई की तिथि 12.02.2019 को थी, परन्तु अधिवक्ताओं की हड़ताल होने के कारण उक्त अवमाननावाद की तिथि 19.02.2019 निश्चित की गई। दिनांक-19.02.2019 के सार्वजनिक अवकाश होने के कारण तिथि 20.02.2019 निश्चित हुई। उक्त वाद में शासन की वांछानुसार दो माह का समय मांगा गया है। जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की तिथि 19.04.2019 को निर्धारित की गई है।	
मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 गोरखपुर।									
4	बाढ़ खण्ड, गोरखपुर	3116/सी/2018	श्री नवी हसन अली	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई	20820/एम0बी0/2018	-	-	अधि0अभि0 के कार्यालय में दिनांक-22.01.2019 तक नोटिस आप्राप्त।	
मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ									
5	नलकूप खण्ड लखीमपुर	850/सी/2017	मो0 नईम खॉ मस्टररोल	श्री सुरेश चन्द्रा प्रमुख सचिव, सिंचाई	255/एस0एस0/1996	मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-1805.1994 के अनुसार लाभ दिये जाने के आदेश	-	याची द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिका में वांछित अभिलेख न लगाये जाने के कारण मा0 न्यायालय द्वारा याची को 03 सप्ताह का समय अनुपूरक प्रतिशपथ-पत्र के माध्यम से वांछित अभिलेख दाखिल करने का आदेश दिया गया परन्तु अभी तक याची द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण प्रतिवादी को नोटिस जारी नहीं की गयी है।	
मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।									
6	मु0नगर खण्ड गंगा नहर, मु0नगर/प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ	5317/2018	मै0 तारा कन्स्ट्रक्शन कं0	श्री टी0वेंकटेश व अन्य	-	-	-	अवमाननावाद संख्या-5317/2018 मै0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ(बजट प्राप्त हो गया तथा वादी के भुगतान हेतु अधि0अभि0 को निदेशित किया जा रहा है।)	-
7	उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की/अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ।	756/2018	शेखर	श्री राजेन्द्र कुमार गौतम व श्री दिनेश कुमार अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की।	2255/2012	-	-	श्री शेखर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक-31.10.2018 का अनुपालन न किये जाने के कारण अवमाननावाद दायर किया गया है। प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु प्रकरण स्थायी अधिवक्ता (उ0प्र0) मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल को उपलब्ध करा दिया गया है।	-

क ० सं ०	मण्डल/ खण्ड का नाम	अवमाननाव द संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा0राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।									
1	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	68/2016	चन्द्रशेखर कुमार मंगलम	दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	176/ 2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	—	उक्त अवमानना याचिका में मा0 अधिकरण द्वारा Compliance हेतु दिनांक 12.03.2018 की तिथि नियत की गयी थी श्री चन्द्रशेखर कुमार मंगलम बाण सागर नहर निर्माण खण्ड-10 मिर्जापुर में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं इनके मण्डल का नाम बाण सागर नहर निर्माण मण्डल-2 मिर्जापुर है। वर्तमान में श्री मंगलम द्वारा अवशेष एरियर का बीजक तैयार कर अधिशासी अभियन्ता चन्द्रप्रभा प्रखण्ड, मुगलसराय को कास रिफ्रेन्सिंग हेतु प्रेषित किया गया था जिसे कास रिफ्रेन्सिंग करने के पश्चात श्री सी0के0मंगलम अधिशासी अभियन्ता बाण सागर नहर निर्माण खण्ड710 मिर्जापुर को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया गया है। जिसका भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। वित्त नियंत्रक के पत्र संख्या-505/लेखा अनुभाग/दिनांक 28.02.2018 द्वारा श्री चन्द्र शेखर कुमार मंगलम अधिशासी अभियन्ता के संशोधित वेतन निर्धारण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। शासन से अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अवमानना याचिका में Compliance उच्चाधिकारियों द्वारा ही किया जाना है।	—
2	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	32/2017	शिव दास, जूनियर इंजीनियर	प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य	2052/ 2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	—	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बैंच द्वारा रिट याचिका संख्या-15399/2016 दाखिल कर दिया गया है। तथा मा0 अधिकरण में नियम-24 के तहत दाखिल प्रा0 पत्र संख्या- 32/2017 की सुनवाई रोकने हेतु शपथ-पत्र मा0 अधिकरण में संयुक्त सचिव के हस्ताक्षरोपरान्त दाखिल कर दिया गया है। वर्तमान में रिट याचिका संख्या-15399/2016 में रिजवाइन्डर दिनांक 19.02.2018 दाखिल करा दिया गया है। विभागा द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या-15399/2016 सरकार बनाम शिव दास एवं अन्य को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 12.03.2018 को डिसमिस कर दिया गया है। शासन के पत्र संख्या-1234/18-27-सिं0-6-1निया/2015 दिनांक 17.04.2018 द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता से विधिक राय मांगी गयी है।	—
मुख्य अभियन्ता (नलकूप) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।									
3	नलकूप खण्ड, मिर्जापुर।	534/2015	सच्चिदानन्द त्रिपाठी सेवा निवृत्त अवर अभियन्ता	श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	वादी सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता रिट याचिका संख्या 1070/ 2006 में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक-28.04.2015 को अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया गया अपने निस्तारण द्वारा ब्याज धन राशि पर 12 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत ब्याज दिये जाने के निर्देश है।	अवमाननावाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक-20.02.2018 को अपने आदेश दिनांक-28.04.2015 का अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश पारित किया गया है।	शासन से भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी।	पुनर्विचार याचिका मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दिनांक-20.01.2018 को दाखिल कर दिया गया है।	—

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना
विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र० सं०	माह जनवरी 2012 से माह फरवरी-2019 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह माह फरवरी-2019 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादो की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1357	1109	2466	1269	980	2249	69	61	130	19 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 68 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 19+68=87

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन
 मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना
 विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र० सं०	संगठन का नाम	माह जनवरी 2012 से माह फरवरी 2019 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह फरवरी 2019 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	1	9	10	1	8	9	0	1	1	-
2	परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	रिट याचिका संख्या-5763/एस0एस0/2012 मिनि0एसो0इरी0डिपा0 बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में शासन से अनुमति प्राप्त न होने के कारण प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हो पा रहा है।
3	अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) लखनऊ	0	5	5	0	4	4	0	1	1	-
4	अनुश्रवण एवं समन्वय, वाह0 सहा0 परियोजना, लखनऊ	3	7	10	2	5	7	1	1	2	01 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
5	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	गण्डक, गोरखपुर	93	31	124	85	29	114	8	2	10	-
7	शारदा सहायक, लखनऊ	59	214	273	49	139	188	3	19	22	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 56 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (07 + 56=63)
8	मध्य गंगा अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	-

9	सरयू-प्रथम, अयोध्या	3	121	124	3	114	117	0	2	2	1-02 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2-03 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
10	पूर्वी गंगा मुरादाबाद	79	13	92	71	12	83	1	1	2	1-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
11	परियोजना बेतवा, झांसी	81	11	92	80	11	91	1	0	1	-
12	जल संसाधन लखनऊ	3	3	6	3	3	6	0	0	0	
13	रामगंगा कानपुर।	143	15	158	139	14	153	4	1	5	
14	शारदा बरेली	35	127	162	34	123	157	1	1	2	1- रिट याचिका संख्या 78/एसएस/2017 राम कृपाल दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 06.01.2017 को आदेश दिये गये हैं कि "याची द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन का 03 माह के अंदर मुख्य अभियन्ता, शारदा द्वारा निस्तारण नियमानुसार किया जाये। याची द्वारा उपरोक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2017 को प्रस्तुत किया गया है। अधि0 अभि0,सिं0ख0 प्रथम लखीमपुर द्वारा प्रेषित प्रकरण पर मुख्य अभियन्ता शारदा द्वारा मुखरित आदेश निर्गत कर दिये गये हैं, अतः इस वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 2- वाद संख्या-4984/एम0एस0/2017 अमरजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2017 को खरिज कर दिया गया अतः इस वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 3- वाद संख्या-7101/एम0एस0/2013 बिन्दुसागर वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2017 को खरिज कर दिया गया अतः इस वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
15	बाणसागर, प्रयागराज	20	3	23	16	3	19	4	0	4	

16	सोन वाराणसी	178	7	185	161	7	168	17	0	17	—
17	सरयू-द्वितीय, गोण्डा	18	32	50	16	30	46	2	2	4	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
18	बेतवा, झांसी	40	8	48	40	8	48	0	0	0	—
19	गंगा, मेरठ	7	0	7	2	0	2	5	0	5	—
20	कनहर, मिर्जापुर	10	1	11	9	1	10	1	0	1	—
21	आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	2	2	0	1	1	0	0	0	माह 01/2012 से माह 07/2018 तक मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या 02 है जिसमें 01 वाद रिट याचिका संख्या- 3650/ एस0एस0/2012 श्रीमती प्रतिभा, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा दाखिल किया गया था, में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 07.08.2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। आदेशों की अनुपालना शासन के सिंचाई अनुभाग-1 द्वारा की जानी है। शपथ पत्र दाखिल की सूचना दी गयी है। इसके अतिरिक्त 01 वाद विभाग की ओर से रिट याचिका संख्या-17118/एस0बी0/2016 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम श्री एम0पी0 सक्सेना व अन्य दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा इस रिट याचिका में दिनांक 03.02.2017 को निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है। चूंकि यह वाद विभाग की ओर से दाखिल किया गया है, अतः शपथ पत्र दाखिल करने की सूचना नहीं दी गयी है। 01 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने के आवश्यकता नहीं।
22	निदेशक जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	—
23	यमुना ओखला, नई दिल्ली	9	3	12	0	0	0	4	1	5	05 वाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एवं 02 वाद मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (कुल 5+2=7)
24	राज्य अभियंत्रण एकादमी, ओखला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
25	नलकूप मध्य, लखनऊ	90	155	245	88	148	236	2	7	9	—
26	नलकूप पश्चिम, मेरठ	130	86	216	123	80	203	7	6	13	—
27	नलकूप, वाराणसी	139	24	163	134	23	157	5	1	6	—

28	नलकूप, पूर्व अयोध्या	28	178	206	26	164	190	2	14	16	—
29	सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	25	17	42	24	17	41	1	0	1	
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	योग	1357	1109	2466	1269	980	2249	69	61	130	19 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 68वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 19+68=87

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिसासी अभियनता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियनता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियनता(विधि प्रकोष्ठ)

